समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या–44/2020–21
जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)
–बनाम्–
प्रकाश चन्द्र महथा
–::आदेश::–

28.02.2022 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी–सह–अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–25/2020, दिनांक–11.12.2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि श्री बिनोद बिहारी प्रमाणिक, खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, बोकारो के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर चन्दनकियारी (अमलाबाद ओ0पी0) थाना कांड सं0–106/2020, दिनांक–20.06.2020, धारा–379 भा0द0वि0 एवं खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत जप्त ट्रैक्टर नं0–JH09L-5273, Trolly No. अंकित नही एवं उस पर लदा करीब 100 घनफीट बालू के विरूद्ध दर्ज किया गया है। फलस्वरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जब्त वाहन एवं बालू खनिज को राज्यसात की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो की ओर से विज्ञ सहायक लोक अभियोजक, बोकारो एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सहायक लोक अभियोजक, बोकारो के द्वारा दलील दिया गया कि दिनांक–20.06.2020 को अनुमंडल पदाधिकारी, चास की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स द्वारा अमलाबाद ओ0पी0 थाना क्षेत्र के अन्तगर्त औचक जाँच किया गया। जाँच के क्रम में पाया गया कि वाहन रजिस्ट्रेशन सं0–JH09L-5273 एवं ट्रॉली के द्वारा अवैध रूप से दामोदर नदी से बालु खनिज का उठाव कर चन्दनकियारी मेन रोड सीतानाला गाँव के समीप NH-218 पर बिना खनिज परिवहन चालान के करीब 100 घनफीट बालू का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस बल को देखकर वाहन चालक घटना स्थल से भाग गए जबकि उन्हें वहाँ रूककर प्रश्नगत बालु से संबंधित वैध कागजात यथा परिवहन चालान प्रस्तुत किया

Scanned with OKEN Scanner

जाना चाहिए था। किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। बिना चालान का बालु खनिज का परिवहन करना MMRD ACT 1957, J.M.M.C Rules 2004 यथा संशोधित 2017/2019 के नियम 54 एवं The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 7, 9 का उल्लंघन है तथा दण्डनीय अपराध है। विज्ञ सहायक लोक अभियोजक के द्वारा यह भी कहा गया कि दिनांक–20.06.2020 को घटना का समय पूर्वाह्न 7:15 बजे की है जबकि विपक्षी के द्वारा न्यायालय में जो चालान प्रस्तुत किया गया है उसमें समय पूर्वाह्न 8:29 बजे अंकित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी अपने आपको बचाने के लिए उक्त चालान को घटना के बाद गलत तरीक से बनाकर प्रस्तुत किया गया है। अतः अवैध रूप से बालु खनिज का परिवहन करने के आरोप में The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि जब्त ट्रैक्टर नं0–JH09L-5273 Trolly No. JH10BJ-4038 के याचिकाकर्त्ता मालिक है। जब्ती के समय उनके पास 100 घनफीट बालु का वैध परिवहन चालान मौजूद था जो Branch office, Kashipur of Ambey Niwas Private Limited, 37, Dimond Harbour Road, P.S. South Port, District-Kolkata (West Bengal) से दिनांक–20.06.2020 को निर्गत था। उसके बाद भी पुलिस के द्वारा उसे नहीं देखा गया और बलपूर्वक प्रश्नगत वाहन को जब्त कर लिया गया। अतः यह वाद पोषणीय नहीं है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि याचिकाकर्त्ता का वाहन वित्त कंपनी के द्वारा वित्तपोषित है और इसलिए इस मामले के कारण वह नियमित किश्तों का भुगतान नहीं कर पा रहे है। यदि वाहन विमुक्त नहीं होता है तो उनका ऋण खाता एन0पी0ए0 हो जाएगा। वाहन विमुक्ति हेतु अदालत की संतुष्टि के लिए जमानत देने के लिए तैयार है एवं न्यायालय के निर्देश पर जब भी वाहन को प्रस्तुत करने का आदेश होगा वह न्यायालय के समक्ष वाहन को प्रस्तुत करेगें। यदि वाहन विमुक्त नहीं किया जाता है तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी। अंत में वह जब्त वाहन को विमुक्त करने को अनुरोध करते है।

Scanned with OKEN Scanner

दोनों पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस बल को देखते ही वाहन के चालक का वाहन छोड़कर भागना उनके दूषित मंशा को दर्शाता है। जिस समय जब्ती की कार्रवाई हुई उस समय वाहन एवं उस पर लदे बालु के संबंध में कोई भी वैध कागजात जाँच दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। Branch office, Kashipur of Ambey Niwas Private Limited, 37, Dimond Harbour Road, P.S. South Port, District-Kolkata (West Bengal) से दिनांक–20.06.2020 को निर्गत चालान प्रश्नगत बालु के संदर्भ में प्रसांगिक नहीं माना जा सकता है क्योंकि जब्ती सूची में अंकित समय एवं चालान में अंकित समय में भिन्नता है। ऐसे में याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जप्त वाहन को विमुक्त करने के लिए दिये दलील का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः अवैध रूप से बालु का परिवहन करने के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत याचिकाकर्त्ता को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है। फलस्वरूप जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–25/2020, दिनांक–11.12. 2020 को स्वीकृत करते हुए The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के उल्लंघन के आरोप में चन्दनकियारी (अमलाबाद ओ0पी0) थाना कांड सं0–106/2020, दिनांक–20.06.2020, धारा–379 भा0द0वि0 एवं खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत जप्त ट्रैक्टर नं0–JH09L-5273, Trolly No. अंकित नही एवं उस पर लदा करीब 100 घनफीट बालू को राज्य सरकार के हित में राज्यसात किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

28/2/2022 — समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

28/2/2022 — समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

No. 100 Dated 6/5/22

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.15 17:41:26 +05:30
Location: 192.168.1.101

Scanned with OKEN Scanner